

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक-05/साख पैक्स (फसल बीमा)-56/2026 सह०.....

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण इत्यादि में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के निमित्त Project Management Unit (PMU) को वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यादेश की तिथि से तीन वर्षों के लिए चयन हेतु कुल पारिश्रमिक राशि रु० 5,88,34,800/- (पांच करोड़ अठासी लाख चौतीस हजार आठ सौ) (GST सहित) मात्र के भुगतान हेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण इत्यादि में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के निमित्त Project Management Unit (PMU) को वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यादेश की तिथि से तीन वर्षों के लिए चयन हेतु कुल पारिश्रमिक राशि रु० 5,88,34,800/- (पांच करोड़ अठासी लाख चौतीस हजार आठ सौ) (GST सहित) मात्र के भुगतान हेतु योजना की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि की निकासी मांग संख्या-09 सहकारिता के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2401 फसल कृषिकर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-110 फसल बीमा, उप शीर्ष-0311 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान, विपत्र कोड-09-240100110031128, विस्तृत शीर्ष-28 व्यवसायिक सेवाएं विषय शीर्ष-04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएं अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। राशि की निकासी सी.एफ.एम.एस. (CFMS) में Fully vouched contingent bill के माध्यम से सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा संबंधित PMU को निर्धारित शर्तों एवं दर पर भुगतान किया जायेगा। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. योजना अंतर्गत चयनित Project Management Unit (PMU) के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों के समीक्षा/मूल्यांकन तथा उनके द्वारा समर्पित किये गये विपत्र की जाँच निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा किये जाने के उपरांत प्राप्त फलाफल के आधार पर निर्धारित दर से त्रैमासिक भुगतान राज्य योजना से उपलब्ध उपबंध/आवंटन से किया जायेगा।

5. विभाग एवं Project Management Unit (PMU) के बीच किए गए एकरारनामा में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विभाग द्वारा दिए गए विशिष्ट कार्यों का निष्पादन भी Project Management Unit (PMU) के द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। कार्यादेश की तिथि से 03 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के उपरांत कार्य मूल्यांकन के आधार पर अवधि विस्तार विभाग द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में सेवा समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गयी है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

9. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा संचिका संख्या :-05/साख पैक्स (फसल बीमा)-56/2026 सह. के पृष्ठ संख्या 202/प० पर दिनांक-11.09.2026 को प्राप्त है।

10. योजना प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा संचिका संख्या :-05/साख पैक्स (फसल बीमा)-56/2026 सह. के पृष्ठ संख्या 213/प० पर दिनांक-16.09.2026 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या :-05/साख पैक्स (फसल बीमा)-56/2026 सह. के पृष्ठ संख्या 37/टि० पर दिनांक-17.09.2026 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या:-05/साख पैक्स (फसल बीमा)-56/2026 सह. के पृष्ठ संख्या 38/टि० पर दिनांक-17.09.2026 को प्राप्त है।

13. योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या:-05/साख पैक्स (फसल बीमा)-56/2026 सह. के पृष्ठ संख्या 38/टि० पर दिनांक-25.09.2026 को प्राप्त है।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-05/साख पैक्स (फसल बीमा)-56/2026 सह० 366/पटना, दिनांक 28/09/26
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

9

28.09.26

सरकार के अपर सचिव।